बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/विविध–61/2014 परि0

प्रेषक,

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री विनोद राय,
पिता–स्व0 जंग बहादुर राय,
ग्राम+पो0–बरहा, थाना–बथनाहा,
जिला–समस्तीपुर।

पटना, दिनांक–.........................

विषय : आपके वाहन सं0–MP-17C-0337 के फाईन माफ किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपका आवेदन उपमुख्यमंत्री, बिहार के गै0स0प्रे0सं0–1068 दिनांक–09.03.2016 के माध्यम से इस विभाग को प्राप्त हुआ है। जिसमें आपके वाहन सं0–MP-17C-0337 का टैक्स 4 साल से बाकी होने के कारण थाना–रून्नी सैदपुर में दिनांक–10.10.2014 से जब्त है। जिसके संबंध में आपके द्वारा टैक्स रू0 47000/– एवं फाईन रू0 95000/– हो जाने के फलस्वरूप फाईन माफ किये जाने हेतु उपमुख्यमंत्री, बिहार से सीधे अनुरोध किया गया है।

आपके आवेदन की समीक्षा इस विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 की धारा–4 के अंतर्गतससमय टैक्स जमा नहीं किये जाने के कारण अर्थदंड (fine) लिया जाता है। साथ ही अर्थदंड माफ करने हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः समीक्षोपरांत आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हैं। यह आपके सूचना है उपरोक्त नियमावली की प्रति संलग्न है।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – उपमुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव को उनके गै0स0प्रे0सं0–1068 दिनांक–09.03.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2483 पटना, दिनांक– 25/05/2016

प्रतिलिपि – मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को उनके गै0स0प्रे0सं0–131 दिनांक–11.03.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।